

निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 02/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जीसीएमएस नं० 2025/17

इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

.....प्रार्थी

1. श्रीमती मधु देवी पत्नी श्री तुलसीराम नि० भैरु दरवाजा बाहर टेलिफोन एक्सचेन्ज के पास आलनपुर (रूरल) सवाई माधोपुर।
2. श्री तुलसीराम पुत्र श्री हनुमानदास नि० भैरु दरवाजा बाहर टेलिफोन एक्सचेन्ज के पास आलनपुर (रूरल) सवाई माधोपुर।
3. श्री दयाराम पुत्र श्री हनुमानदास नि० भैरु दरवाजा बाहर टेलिफोन एक्सचेन्ज के पास आलनपुर (रूरल) सवाई माधोपुर। दूसरा पता-ग्राम आलनपुर श्याम वाटिका के पास आलनपुर तह० व जिला स०मा०

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002अप्रार्थी/ऋणी

—: आदेश :-

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.05.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्रीमती मधु देवी पत्नी श्री तुलसीराम निवासी भैरु दरवाजा बाहर टेलीफोन एक्सचेन्ज के पास आलनपुर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति आवासीय मकान, ग्राम आलनपुर श्याम वाटिका के पास आलनपुर तह० व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में रोड, पश्चिम में अन्य प्लॉट, उत्तर में रोड व दक्षिण में अन्य प्लॉट (नाथू कोली का मकान) है, जिसका क्षेत्रफल 880 वर्ग फीट है, को बंधक रखकर 8,00,000 (आठ लाख रुपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी, किन्तु अप्रार्थी ऋणी द्वारा मकान के लिए आवश्यकतानुसार 7,00,000 (सात लाख रुपये मात्र) का ही ऋण प्राप्त किया गया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.07.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभाँति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 10.07.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति आवासीय मकान, ग्राम आलनपुर श्याम वाटिका के पास आलनपुर तह० व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में रोड, पश्चिम में अन्य प्लॉट, उत्तर में रोड व दक्षिण में अन्य प्लॉट (नाथू कोली का मकान) है, जिसका क्षेत्रफल 880 वर्ग फीट है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
5. आदेश आज दिनांक 31.1.2025 को सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

